[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 9th September, 1999

NO. GSR 95/Const./Art./309/99.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Health Department, Multipurpose Health Supervisors and Multipurpose Health Workers Groups 'C' Services Rules, 1984, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Health Department Multipurpose Health Supervisors and Multipurpose Health Workers Group 'C' Service (First Amendment) Rules, 1999.

2. In the Haryana Health Department, Multipurpose Health Supervisors and Multipurpose Health Workers Group 'C' service Rules, 1984 (here-in-after called the said rules), in rule 2,—

   (i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—

   '(aa) "Civil Surgeon" means Civil Surgeon of the district concerned;' and

   (ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

   '(cc) "Director General" means Director General Health Services, Haryana;'.

3. In the said rules, for rule 15, the following rules shall be substituted, namely:—

"15. Discipline, penalties and appeals.—(1) In matters relating to discipline, penalties and appeals members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and the appellate authority, shall be as specified in Appendix D to these rules.".

(4) In the said rules, for Appendices C and D, the following Appendices shall be substituted, namely:—

APPENDIX C

[*See* rule 15(1)]

Sr. No.	Designation of the posts	Appointing Authority	Nature of the penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority	Second appellate authority
1	2	3	4	5	6	7
			1. **Minor Penalties**:			
1	Multipurpose Health Supervisor (Male)	Director	(i) warning with a copy in the personal file (Charactar role);	Civil Surgeon	Director	Director General
2	Multipurpose Health Supervisor (Female)		(ii) censure;			
			(iii) withholding of promotion;			
3	Multipurpose Health Worker (Male)		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or a breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a Company and Association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the			
4	Multipurpose Health Worker (Female)					

1	2	3	4	5	6	7
			Government or to a local authority or university set up by an act of Parliament or of the Legislature of a State; and			
			(v) withholding of increments of pay without cumulative effect.			
			2. **Major Penalties**:			
			(vi) withholding of increments of pay with cumulative effect;	Director	Director General	Government
			(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;			
			(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the			

1	2	3	4	5	6	7
			time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employees was reduced and his seniority and pay or such restoration to that grade, post or service ;			
			(ix) compulsory retirement ;			
			(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;			
			(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.			

APPENDIX D

[*See* rule 15 (2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of Order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and final Appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6
1	Multipurpose Health Supervisor (Male)	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension ;	Director	Director General	Government.".
2	Multipurpose Health Supervisor (Female)	(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.			
3	Multipurpose Health Worker (Male)				
4	Multipurpose Health Worker (Female)				

S. MADHAVAN,

Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Healh Department.

22455/CS(H)-Govt. Press, U.T., Chd.

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 सितम्बर, 1999

संख्या सा० का० नि० 95/संवि० अनु० 309/99.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1984, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग बहुउद्देशीय, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार ग्रुप ग सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, 1999, कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग बहुउद्देशीय, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार ग्रुप ग सेवा नियम, 1984 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में,—

(i) खण्ड (क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात्:—

'(कक) "सिविल सर्जन" से अभिप्राय है, सम्बद्ध जिले का सिविल सर्जन; ' तथा

(ii) खण्ड (ग) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात्:—

'(गग) "महानिदेशक" से अभिप्राय है, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा ;

3. उक्त नियमों में, नियम 15 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात्:—

"15. अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें.—(1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।"।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ग तथा घ के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट रखे जायेंगे, अर्थात्:--

परिशिष्ट (ग)

[देखिए नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पद का नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
			छोटी शास्तियां---			
1	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष)	निदेशक	(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी ;	सिविल सर्जन	निदेशक	महानिदेशक
2	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला)		(ii) परिनिन्दा ;			
3	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार (पुरुष)		(iii) पदोन्नति रोकना ;			
4	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकार (महिला)		(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी या संगम तथा व्यष्टि निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है संसद् या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्व-विद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली ;			
			(v) सचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना।			
			2. बड़ी शास्तियां ---	निदेशक	महानिदेशक	सरकार
			(vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना;			

1	2	3	4	5	6	7
			(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;			
			(viii) निम्नतर वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा, पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए सामान्यता रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उसके बिना होगी ;			
			(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति;			
			(x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये निरर्हता नहीं होगी;			
			(xi) सेवा से पदच्युति, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यता निरर्हता होगी ;			

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 15 (2)]

क्रम संख्या	पद नाम	शास्ति का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	बहुउदेशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष)	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुदेय सामान्य अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना अथवा रोकना;	निदेशक	महा निदेशक	सरकार
2	बहुउदेशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला)	(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के होने से पूर्व अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।			
3	बहुउदेशीय स्वास्थ्य कर्मकार (पुरुष)				
4	बहुउदेशीय स्वास्थ्य कर्मकार (महिला)				

एस० माधबन,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग ।